।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 3186 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, दिसम्बर 30 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः— Mintes of thev Fortnightly Regional Coordination Meeting (FRCM) held on 25-11-2022 के कार्यवृत्त में सम्मिलित जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर'—सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु चर्चा के सम्बन्ध में। (Online No- FP/UK/Road/14604/2021)

संदर्भः— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर की पत्र सं0 2018/1सी0 वन दिनांक 16.12.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में दिनांक 25.11.2022 को हुई एफ0आर0सी0एम0 की बैठक में चाही गयी सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया हैः—

क्र. सं.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा चाही गयी सूचना	औचित्य
1.	The User agency along with the DFO presented the proposal in the meeting. The KML file of the proposed road was observed in the meeting and it was seen that there is an existing road on the northern side of the beneficiary village Koladungari. It was apprised that the observation in this regard was also conveyed to the State Government. The user agency informed that the proposed road will connect the village with the market and also provide connectivity with the junior High School of Koladungri hence the proposed road is Justifiable. *After detailed discussion, it was decided that the User Agency shall submit a detailed Justification of the proposed in view of existing norms and all the concerned infrastructure viz. Local market, school, etc. Shall be on the kml in the online portal.*	1— लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री के ऊपर उत्तर दिशा में स्थित मोटर मार्ग (कर्णप्रयाग—नैनीसैण मोटर मार्ग) से गांव कोलाडुंग्री की ऊर्ध्वाधर दूरी 150 मी0 से अधिक है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 8167/III(2)/18—15 (सामान्य) /2018 दिनांक 31.12. 2018 के अनुसार <u>पर्वतीय क्षेत्रो की भौगोलिक परिस्थिति, भू—गर्भीय संरचना के दृष्टिगत मार्ग से 100मी0 की ऊर्ध्वाधर (vertical) दूरी पर स्थिति ग्राम मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय,(संलग्न—1)</u> के अनुसार भी उक्त गांव जिसकी कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग से ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी 150 मी से अधिक है। मोटर मार्ग से संयोजित नही है अर्थात उक्त गांव को मोटर मार्ग से संयोजित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ऊपर उत्तर दिशा में स्थित कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग से लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री हेतु मार्ग के प्रारम्भ में पड़ने वाली भूमि ग्राम विडोली एवं ग्राम फलोटा से सम्बन्धित है जिसके भूस्वामियों द्वारा मार्ग निर्माण हेतु किये जा रहे सर्वे का विरोध किया गया एवं विभाग को अपनी भूमि न देने सम्बन्धित आपत्ति पत्र प्रेषित किया गया **(आपत्ति पत्र संलग्न—2)** । चूंकि ग्राम विडोली एवं फलोटा पूर्व में ही मोटर मार्ग पर स्थित है एवं विषगत मोटर मार्ग से इन गावों को कोई लाभ न होने के कारण इस मोटर मार्ग का विरोध किया जा रहा है। अवगत कराना है कि यदि उक्त मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले गांव को जोड़ा भी जाता है तो भी 1:18—1:20 के Longitudinal Grade पर मार्ग की लम्बाई लगभग 3.00किमी0 से भी अधिक की आवश्यकता होती, जो कि स्वीकृत संरेखण (डिम्मर—सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री) की लम्बाई 2.225 किमी0 से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त ऊपर स्थित आपके द्वारा सुझाये गये Alignment में Hill site cutting के दौरान गांव नीचे होने के कारण गांव को खतरा उत्पन्न हो सकता है

Scanned with CamScanner

		जो कि तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। जबकि स्वीकृत संरेखण में कोई HP Bend नहीं है 2–ग्राम सभा कोलाडुंग्री का एकमात्र जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री, ग्राम सुमल्टा में स्थित है। उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चों को उक्त स्कूल पंहुचने में सुविधा होगी। चूंकि स्थल को जोड़ जाना Obeligantory Point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा। (KML file में दर्शा दिया गया है) 3– ग्राम सभा कोलाडुंग्री का प्राथमिक विद्यालय भी ग्राम सुमल्टा में स्थित है। उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चों को उक्त स्कूल पंहुचने पर सुविधा होगी। चूंकि स्थल को जोड़ जाना Obeligantory Point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा। (KML file में दर्शा दिया गया है) 4– लाभान्वित गांव का मुख्य बाजार सिमली है जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 गुजरता है स्वीकृत संरेखण पर मार्ग का निर्माण होने से लाभान्वित गांव मात्र 8किमी0 में राष्ट्रीय राजमार्ग से संयोजित हो जायेगा। जबकि कर्णप्रयाग– नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मुख्य बाजार कर्णप्रयाग की दूरी 17 किमी0 एवं सिमली की दूरी 24 किमी0 आयेगी। (KML file में दर्शा दिया गया है) 5– लाभान्वित ग्रमा सभा कोलाडुंग्री के अन्तर्गत ग्राम सुमल्टा एवं बागड़ी आते है तथा चुनाव में मतदान स्थल का निर्माण लाभान्वित ग्राम कोलाडुंग्री में किया जाता है। स्वीकृत संरेखण पर मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम सुमल्टा एवं ग्राम बांगड़ी के मतदाताओं विशेषकर वृद्व एवं दिव्यांगजनों को मतदेय स्थल तक पहुंचने में सुविधा होगी। 6– लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री में इस क्षेत्र का पोस्ट ऑफिस स्थित होने के कारण क्षेत्रीय जनता को स्वीकृत संरेखण पर मार्ग निर्माण से पोस्ट ऑफिस पंहुचने में सुविधा प्राप्त होगी। 7– स्वीकृत संरेखण पर हरियाली घनत्व मात्र 0.3 है तथा कुल प्रभावित संरेखण घने वन से न गुजर कर एक विरल क्षेत्र गुजरता है जिसमें अधिकतर चीड़ के वृक्ष है। स्वीकृत Alignment ही तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Akumar

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 3186 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

Akumar

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

O/C

Scanned with CamScanner

संख्या : 9167 / 11(2) / 18–16(सामान्य) / 2018

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग–2 देहरादून: दिनांक : 3/ दिसम्बर, 2018

विषयः **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय–व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :–

(i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य ज़िला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख–रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(iii) वार्षिक बजट की शेष धनराशि लगभग 55% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का वाहन मार्ग/वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्राविधानित की जाय।

(iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाकार (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।

(v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।

(vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी० से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।

(vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नहीं है तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम है, को बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।

(viii) समस्त आबादी वाले मार्गों के मुख्य मार्गों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लॉक ...ग/इन्टरलॉकिंग सी०सी० टाईल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की नाली निर्माण

(ix) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी0 से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी0 से अधिक चौडाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा0 विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौडाई वाले मार्गों को सी0सी0 के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।

(x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात 07मी0 कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी0 कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।

(xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के defect liability period सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

(xii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी0 तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण मार्गों में नदी पर 02 किमी0 से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।

(xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 57 मी0 स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पडने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।

(xiv) प्रदेश में रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।

(xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–378/XXVII(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

Scanned with CamScanner

<u>आपत्ति प्रमाण पत्र</u>

हम समस्त ग्रामवासी फलोटा ग्राम पंचायत सुखतोली ग्राम कौलाडुंगरी के ग्रामवासियों द्वारा फलोटा से कौलाडुंगरी तक मोटर मार्ग हेतु अनुरोध किया गया था, जिसमें कि हमारी कृषि भूमि एवं जंगल पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं तथा मोटर मार्ग निर्माण होने से गांव को खतरा बना रहेगा, जिससे समस्त ग्रामवासी फलोटा वालों को घोर आपत्ति है

राजेन्द्र सिंह — [signature]
यशवीर सिंह — [signature]
मनवीर सिंह — [signature]
दलवीर सिंह — दलवीर सिंह
पुष्कर सिंह — [signature]
हरि सिंह — हरि सिंह
नरेन्द्र सिंह — [signature]
देवेन्द्र सिंह — देवेन्द्र सिंह
जसवन्त सिंह — [signature]
दलीप सिंह — [signature]
जीतेन्द्र सिंह — जीतेन्द्र सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत सुखतोली
ह० [signature]
ह०
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

आपत्ति प्रमाण पत्र

हम समस्त ग्रामवासी खिडोली तल्ली वालों को खिडोली - कोलाडुंगरी मोटर मार्ग का सर्वे हो रहा था इसमें हमारी कृषि भूमि पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। जिस पर समस्त ग्रामवासियों को घोर आपत्ति है।

समस्त ग्रामवासी
खिडोली तल्ली

दिग्पाल सिंह [illegible]
प्रताप सिंह [illegible]
दानसिंह [illegible]
हेमन्त कुमार [illegible] [illegible]
प्रेमसिंह - [illegible]
दिनेशसिंह [illegible]
कमलसिंह - कमलसिंह
नन्दासिंह - नन्दासिंह
विनोदसिंह [illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
ह० [illegible]
दि० ....
[illegible]